

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय :- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या- 65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा की गयी थी। उक्त व्यवस्था किये जाने के उपरन्त वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि दिये जाने एवं पूर्व प्रस्तुत विकल्प को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जिजासाओं एवं दृष्टिगोचर हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है :--

संदर्भ बिन्दु / कठिनाई	स्पष्टीकरण
(1)	(2)
<p>शासनादेश संख्या-जी-2-212/दस-2009-333-86 दिनांक 03 मार्च 2009 द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति होने पर पदोन्नति की तिथि से मूल नियम-22 बी (1) की व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा प्रोन्नति की तिथि को मूल नियम-22 ए (1) की व्यवस्थानुसार तथा निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से मूल नियम-22बी (1) के अन्तर्गत वेतन पुनर्निर्धारण किये जाने के विकल्प की व्यवस्था की गयी थी।</p> <p>ऐसे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति दिनांक 01 जनवरी 2016 एवं पुनरीक्षित वेतन</p>	<p>जी हाँ ऐसे कार्मिक जिनकी पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता दिनांक 01 जनवरी 2016 तथा शासनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के मध्य हुई है और उनके द्वारा पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि को मूल नियम-22 ए (1) के अनुसार तथा पूर्व पद/ वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारित किये जाने का विकल्प दिया गया था उनके द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने</p>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के निगमन की तिथि तक होने पर उनके द्वारा निर्धारित कराये जानेका विकल्प प्रस्तुत किया गया था, जो पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उनके लिये हानिकारक हो गया है। क्या ऐसे कर्मचारियों द्वारा संशोधित विकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है।</p>	<p>की तिथि से एक माह की अवधि में, पूर्व में दिये गये विकल्प को परिवर्तितकिया जा सकता है।</p>
<p>ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति/पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 02 जनवरी 2015 से 01 जुलाई 2015 के मध्य अनुमन्य हुआ है क्या ऐसे कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से एक वेतनवृद्धि देय होगी।</p>	<p>शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी की गयी है। अतः ऐसे कार्मिक, जिनकी नियुक्ति/पदोन्नति/ वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 02 जनवरी, 2015 से 01 जुलाई, 2015 के मध्य अनुमन्य हुआ है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01 जनवरी, 2016 को कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।</p>

भवदीय

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-6/2017/वे0आ0-2-03-वी0आई0पी0-(1)/दस-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ॥ आडिट-। एवं ॥, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश ।
- 7- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 8- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/ इरला चेक अनुभाग।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।